लखनऊ P.S. हजरतगंज

अपराध संख्या अपराध सं. 5/14

तारीख	हुक्म की कार्यवाही इत्तिलाएल जब	नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/1	अनुसन्धान पूरा किया गया। अभियोक्त्री की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी नाबालिग लड़की गायब है। उक्त पत्र की नकल दर्ज की गई। उक्त पत्र में कहा गया कि लड़की की बरामदगी का अनुरोध किया। अभियोक्त्री के अतिरिक्त साक्षियों से पूछताछ की गई। अभियोक्त्री ने प्रस्तुत किया है कि अभियोक्त्री की उम्र 15 वर्ष है। वह पढ़ रही है। काम करने की आवश्यकता नहीं है। अभियोक्ता अपने पुत्र हैं जो उसकी देखभाल नहीं करते हैं तथा अभियोक्त्री को खाने पीने दवाई आदि की व्यवस्था नहीं करते हैं। अतः अभियोक्त्री को जीवन यापन हेतु अभियोक्ता से 5000/-5000/- प्रतिमाह खर्चा दिलाया जावे। अभियोक्ता ने अपने प्रस्तुत आवेदन में निवेदन किया है कि अभियोक्त्री अपनी दूसरी पत्नी हसीना के साथ रहता है। अभियोक्ता को पांच बीघा जमीन थी है तथा आठ बीघा जमीन से पुश्तैनी मकान है। अतः अभियोक्ता का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोक्त्री वृद्ध है तथा अभियोक्ता की अपने पुत्र हैं। वृद्धावस्था में पुत्रों का दायित्व है कि वे अपने पिता की सेवा सुश्रूषा करें। अतः अभियोक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियोक्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे अभियोक्त्री को भरण-पोषण हेतु माह मार्च 2013 से पांच सौ रुपये प्रतिमाह खर्चा हेतु भुगतान करें तथा प्रत्येक माह की पांच तारीख तक भुगतान किया [illegible] करें। पत्रावली फैसल [illegible] घोषित हो। (विनीत कुमार मौर्या) [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 17:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner